उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–4
संख्या– ५०७० /77–4–24–35 अपील/24
लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 2024

मै0 ज़ैप इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी प्रा0लि0 **पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण **विपक्षीगण**

प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका मै0 ज़ैप इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी प्रा0लि0 द्वारा नौएडा में आईटी/आईटीईएस परियोजना हेतु आवंटित संस्थागत भूखण्ड संख्या–09, सेक्टर–142 के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पारित आवंटन निरस्तीकरण आदेश दिनांक 31.03.2023 के विरूद्ध उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–12 के अन्तर्गत दाखिल की गयी है। प्रकरण में नौएडा से आख्या प्राप्त की गयी, जो उनके पत्र दिनांक 08.04.2024 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में दिनांक 23.06.2024 को सुनवाई की गयी, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता संस्था की ओर से श्री युद्धिष्ठिर शर्मा वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए तथा नौएडा प्राधिकरण की ओर से श्रीमती वन्दना त्रिपाठी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

2. शासन द्वारा जारी अध्यादेश दिनांक 28.07.2020 एवं 07.01.2022 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार आईटी/आईटीईएस एवं औद्योगिक भूखण्डों को कार्यशील किए जाने हेतु दिनांक 31.12.2022 तक निःशुल्क समय वृद्धि प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अधिभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के फलस्वरूप प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.01.2023 को नोटिस जारी किया गया। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा भवन निर्माण/कार्यशीलता के सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्ण न करने के कारण आवंटन एवं पट्टा प्रलेख की नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी अध्यादेश दिनांक 28.07.2020 यथा संशोधित दिनांक 07.01.2022 के अधीन मै0 ज़ैप इन्फोरमेशन टेक्नोलॉज़ी प्रा0लि0 को आवंटित संस्थागत भूखण्ड संख्या–09, सेक्टर–142 का आवंटन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 31.03.2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

3. सुनवाई बैठक के दौरान पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 31.12.2022 से पूर्व ही प्रश्नगत इकाई का निर्माण पूर्ण कर लिया गया था अतः प्राधिकरण द्वारा पारित आवंटन निरस्तीकरण आदेश उचित नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा शासनादेश दिनांक 20.12.2023 का उल्लेख करते हुए बिना किसी शुल्क के प्रश्नगत भूखण्ड को पुनर्स्थापित किए जाने का

अनुरोध किया गया तथा इकाई की पूर्णता से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किए गए। प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं की गयी।

4. दोनों पक्षों को सुना गया। सुनवाई के समय पुनरीक्षणकर्ता तथा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत अभिकथन एवं अभिलेखों के सम्यक् परिशीलन एवं विश्लेषण के उपरान्त संस्थागत भूखण्ड संख्या–09, सेक्टर–142 के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पारित आवंटन निरस्तीकरण आदेश दिनांक 31.03.2023 निरस्त करते हुए प्रश्नगत भूखण्ड को पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में बिना किसी पुनर्स्थापना शुल्क के पुनर्स्थापित किया जाता है।

एतद्द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।

मनोज कुमार सिंह
अवस्थापना एवं औद्योगिक
विकास आयुक्त।

संख्याः– 4070 (1)/77–4–24तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा।
2. अधिकृत हस्ताक्षरी, मै0 ज़ैप इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी प्रा0लि0।
3. मो0 वली अब्बास, निदेशक, आई0टी0, इन्वेस्ट यूपी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय वीर सिंह)
संयुक्त सचिव।